

फर्द अहकाम

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

२ मकुवार

बनाम

सरकार

किरम धारा 136 वाद/प्रा.पत्र

मु0नं0 न 24/2024

तारीख ह म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------------	-----------------------------------	---

30/7/24

प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा/खेडलिया/महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 27-11-24 को पेश हो।

*Handwritten signature*

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

21/11/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त निकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27-11-24 को पेश हो।

*Handwritten signature*

27-11-24 पत्रावली पेश हुये। कानूनी अधिकार लक्षण) उपखण्ड में नोट प्रेष अंशित प्रिया हों अतः कानूनी अधिकार से नोट प्रेष में शपथिती समाप्त हो जाती हों उपखण्ड फेशन सुमार हो 22 नम्बर से पुन हो।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा